समाहरणालय, कटिहार।

गोपनीय प्रशाखा

कँवल तनुज, भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, कटिहार।
Telephone(o) - 06452-230581
Mobile No.- 9473191375
E-mail id - dm-katihar.bih@nic.in

–::आदेश::–

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 77, दिनांक 21.04.2020 द्वारा COVID-19 के संदर्भ में जिला अन्तर्गत Containment Zone का निर्धारण एवं उससे संबंधित गतिविधियों के संबंध में व्यापक निदेश दिये गये हैं। साथ ही, इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Containment Planसे संबंधित मार्गदर्शिका Updated Containment Plan for Large Outbreaks, Containment Plan Micro Plan for Containing Local Transmission of Corona Virus Disease में उल्लिखित है कि कोरोना पॉजिटिव मामले एवं उनके संपर्क की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए Containment Zoneका निर्धारण किया जाना है।

कोरोना वायरस (कोविड–19) से संक्रमित मरीजों/पहचान किये गये व्यक्तियों के निवास स्थल को भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार संक्रमण केन्द्र (Epicenter) माना गया है और उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों में संक्रमण अनिवार्य रूप से रोकने का निदेश प्राप्त है।

कटिहार जिला अन्तर्गत कुर्सेला प्रखण्ड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के तीनघरिया ग्राम के वार्ड नं0–02 में 01 (एक) तथा कदवा प्रखण्ड के रिजवानपुर पंचायत अन्तर्गत रतनपुर गाँव के वार्ड नं0–07 में 01 (एक) व्यक्ति के कोरोना Positive होने की सूचना प्राप्त हुई है।

उक्त परिपेक्ष्य में कोरोना संक्रमण के मामले की पुष्टि के पश्चात अविलम्ब सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के ससमय एवं सफल सम्पादन हेतु कटिहार जिले में प्रशासन, पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों व कर्मियों को स्पष्ट दिशा–निर्देश देते हुए **जिला गोपनीय प्रशाखा, कटिहार के आदेश ज्ञापांक 914/सी० दिनांक 29.03.2020** द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित कर जिला स्तर पर IntegratedDistrictResponse Team (IDRT) का गठन किया जा चुका है।

इस हेतु जिला स्तर पर गठितIntegratedDistrictResponse Team (IDRT)के विभिन्न अंगों का निम्न रूपेण दायित्व निर्धारित किया जाता है :–

1. Pick-up Team :-

सदस्यः–

1. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी
2. संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
3. संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
4. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी
5. संबंधित अंचलाधिकारी
6. संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
7. संबंधित थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी
8. संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
9. अन्य सदस्य प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से चिकित्सक एवं 02 ए०एन०एम०, आशा/आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका, ई०एम०टी० तथा एम्बुलेन्स के साथ एम्बुलेन्स ड्राईवर की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।

टीम का दायित्व :–

(i) Corona Positive मामले की सूचना प्राप्ति के पश्चात तत्क्षण Pick-up Teamसंबंधित संक्रमित मरीज के

(ii) आवास स्थल पर पहुँचते ही सर्वप्रथम मरीज के निकटतम परिजनों एवंऐसे व्यक्ति जो कि यात्रा के क्रम में मरीज के साथ रहे हों/एक छत के नीचे मरीज के साथ रह रहे व्यक्तियों को तत्काल चिन्हित करेंगे।

उक्त चिन्हिकरण के क्रम में Corona Positive पाये गए व्यक्ति के संपर्क में आये हुए व्यक्तियों को 2 Category में बांटा जाएगा–

- **HIGH-RISK CONTACT**(Corona Positive पाये गए व्यक्ति के निकटतम परिजन, Household share करने वाले व्यक्ति):- इन सभी को अविलंब Sampling हेतु KMCH भेजा जाय एवं Sampling के उपरांत चिन्हित Quarantine Center में Isolation कोषांग से समन्वय स्थापित कर Isolate किया जाय।
- **LOW–RISK CONTACT** :-उपर्युक्त कंडिका के अतिरिक्त संपर्क में आये अन्य व्यक्तियों को (asymptomatic) प्रखण्ड स्तर पर चिन्हित DEDICATED QUARANTINE CENTRE में Strict- Quarantine के अधीन रखा जाएगा। यदि low-risk contact में daily health monitoring के क्रम में symptoms पाये जाते हैं तो अविलंब ऐसे symptomatic व्यक्ति की sampling कर उचित अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

(iii) Pick-up team के सभी सदस्य स्वास्थ्य संबंधी Proper protective gear के साथ ही उक्त सदंर्भित कार्रवाई करेंगे।

(iv) Low- risk contacts को चिन्हित Quarantine Camp में स्थानांतरण के पश्चात व्यक्तियों की सुविधा हेतु सभी व्यवस्था सिविल सर्जन, कटिहार एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) द्वारा अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित की जाएगी।

2. Zone Enforcement Team :-

सदस्य :–

1. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी
2. संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी
3. संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
4. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी
5. संबंधित अंचलाधिकारी

टीम का दायित्व :–

(i) कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमित मरीज के गृहस्थल से 03 (तीन) किलोमीटर कीत्रिज्या में Containment Zone एवं उसके पश्चात् 7 (सात) किलोमीटर कीत्रिज्यामेंBuffer Zone को चिन्हित् करते हुए बैरिकेटिंग की व्यवस्था करेंगे ताकि किसी प्रकार के अनावश्यक आवागमन को तत्काल नियंत्रित किया जा सके।SDO/SDPO यह सुनिश्चित करेंगे कि corona positive मामले की पुष्टि के पश्चात अविलंब यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाय।SDO/SDPO यह सुनिश्चित करेंगे कि Corona Positive मामले की पुष्टि के पश्चात अविलंब यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाय।

(ii) उक्त Containment Zone की परिधि में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की तत्काल प्रतिनियुक्ति की जायेगी तथाप्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि उक्त Containment Zone में किसी भी प्रकार के वाहन व व्यक्तियों के आवागमन को सख्ती से नियंत्रित रखा जाय।

(iii) यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि एक Containment Zone में एक ही प्रवेश व एक ही निकास द्वार चिन्हित किया जाय तथाContainment Zone में आवागमन इसी चिन्हित प्रवेश/निकास द्वार से हो।

(iv) उक्त प्रवेश एवं निकास स्थल पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग दल (चिकित्सक एवं पारा मेडिकल कर्मी) प्रतिनियुक्त रहेंगे जो प्रत्येक आवागमन करने वाले सरकारी कर्मी व्यक्ति की स्वास्थ्य जॉच सुनिश्चित करेंगे।

(v) Containment Zone के भीतर सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठानों एवं सभी मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णतः बन्द किया जाना है। इस क्षेत्र के अन्दर से न तो कोई स्थानीय व्यक्ति बाहर जाएगा, ना ही कोई व्यक्ति अंदर आएगा (स्वास्थ्य, विधि–व्यवस्था एवं अन्य सरकारी कार्य हेतु प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर)।

(vi) Containment Zone के भीतर सभी व्यक्तियों को STRICT Home Quarantine (गृह एकांतवास) के अधीन रखा जाएगा। यह अवधि 21 दिन की होगी। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक उक्त कार्रवाई – Sticker एवं Poster चिपकाना, Pamphlet आदि वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ज्ञातव्य हो कि गृह एकांतवास की तिथि Stricker लगाये जाने की तिथि/Corona Positive मामला पाये जाने की तिथि से प्रारंभ किया जाएगा।

(vii) Containment Zone में आवागमन पूर्णतः निषिध्द किये जाने हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग लिया जाएगा।

(viii) Containment Area के अंदर पूर्ण क्षेत्र तथा Containment Zone के परिधि के संदर्भ में Lockdown का उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों के विरूद्द उचित विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(ix) बफर जोन की परिधि में ग्राम स्तरीय समिति (VLC) के सदस्य प्रतिनियुक्त रहेंगे, जिसमें पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, आशा, आगंनबाड़ी कार्यकर्ता, जीविका दीदी, टोला सेवक, विकास मित्र, चौकीदार/दफादार रहेंगे एवं इसके अतिरिक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, महिला पर्यवेक्षिका (ICDS)इत्यादि को Buffer Zone की परिधि में प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जिनके द्वारा Buffer Zone में आवागमन को नियंत्रित रखा जायेगा।SDO/SDPO किये गए प्रतिनियुक्ति का अनुश्रवण कर Buffer Zone में सभी तरह के आवागमन (व्यक्ति एवं वाहन) को नियंत्रित रखेंगे।

(x) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा स्थानीय जन–प्रतिनिधियों से भी किसी व्यक्ति के अनावश्यक Containment Zone में प्रवेश नहीं करने हेतु अपने स्तर से प्रेरित करने हेतु अनुरोध किया जाएगा।

(xi) आवश्यक सामग्री आपूर्ति के संदर्भ में Home Delivery एवं अन्य कार्रवाई Essential Commodities कोषांग से समन्वय स्थापित कर कराई जाएगी।

3. Sanitization Team :-

सदस्य :–

1. निदेशक, डी०आर०डी०ए०
2. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
3. जिला मलेरिया पदाधिकारी
4. संबंधित प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक
5. संबंधित प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक

टीम का दायित्व :–

(i) यहटीमContainment Zone के Sanitization के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेगा।

(ii) इस टीम के द्वारा Containment Zone के प्रवेश एवं निकास स्थल पर पारामेडिकल कर्मी की प्रतिनियुक्ति MOIC द्वारा की जायेगी।प्रतिनियुक्त पारामेडिकल कर्मी का दायित्व होगाकि आवागमन करने वाले स्थानीय नागरिकों/कर्मी की समुचित स्क्रीनिंग की जाये। इस हेतु संबंधित व्यक्ति के शरीर का तापमान एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों को चिन्हित करने का प्रयास किया जायेगा। इस हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी को Sanitization Teamआवश्यक उपकरण यथा पी०पी०ई० किट, थर्मल स्कैनर, N-95 Mask, Gloves, Sanitizer उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था करेगी।

(iii) Containment Zone के प्रवेश एवं निकास द्वार पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का दायित्व होगा कि Zone में/से आवागमन करने वाले सभी वाहन/व्यक्तियों की विवरणी संधारित रखेंगे ताकि बाहर जाने वाले व्यक्ति किस उद्देश्य से बाहर जा रहे हैं एवं किन–किन व्यक्तियों के सम्पर्क में रह रहे है, इसकी समुचित जानकारी सतत् रूप से उपलब्ध हो सके।

(iv) Sanitization Teamसुनिश्चित करेगी कि Containment Zone से बाहर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फेस मास्क एवं हैंड ग्लव्स उपलब्ध कराते हुए सलाह दी जाये कि वे सामाजिक/भौतिक दूरी बनाकर रखेंगे तथा अतिआवश्यक कार्यों हेतु ही बाहर जायेंगे।

(v) Containment Zone से बाहर जाने वाले प्रत्येकवाहन को 1% Sodium hypochlorite Solution से सेनिटाईज करना अनिवार्य होगा।

4. **Awareness & IEC Team :-**

सदस्य :–

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
2. संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
3. संबंधित प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक

टीम का दायित्व :–

(i) इस टीम का दायित्व होगा कि प्रत्येक Containment Zoneएवं बफर जोन में COVID-19 के संक्रमण को सीमित रखने हेतु फ्लैक्स बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, पम्पलेट इत्यादि का वितरण एवं Audio-Video Aid से जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय। IEC material के इस्तेमाल संबंधी Photographs निश्चित तौर पर COVID-19 Emergency Photographs group पर साझा किये जायें।

5. **Tracking Team :-**

सदस्य :–

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी
2. संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी
3. संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
4. संबंधित प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक

टीम का दायित्व :–

(i) प्रत्येकContainment Zone को न्यूनतम 50 घरों के Sector (सेक्टर) में विभाजित किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक सेक्टर के ट्रेकिंग प्रभारी के रूप में आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ए०एन०एम० प्रतिनियुक्त रहेंगे।

(iii) प्रत्येक चार सेक्टर पर एक चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति टीम द्वारा की जायेगी। प्रतिनियुक्त चिकित्सक के द्वारा चिन्हित् सेक्टरों के पर्यवेक्षी पदाधिकारी के रूप में कार्य किया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त कंडिकाओं से संबंधित Microplan, DPM (Health) Corona Positive मामले की पुष्टि के 2 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(v) प्रत्येक सेक्टर प्रभारी (आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ए०एन०एम०) के द्वारा Containment Zone में घर–घर जाकर दैनिक रूप से प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक सर्विलांस (Surveillance) किया जायेगा। सेक्टर प्रभारी द्वारा क्षेत्र में पाये गये COVID-19 संबंधी संदिग्ध स्वास्थ्य लक्षण वाले व्यक्ति को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए परिवार के अन्य सदस्यों को भी फेस मास्क उपलब्ध कराया जायेगा तथा तत्क्षण ऐसे व्यक्ति की सूचना अपने पर्यवेक्षीय पदाधिकारी–सह–चिकित्सक को दी जायेगी।

(vi) तत्पश्चात् पर्यवेक्षीय पदाधिकारी–सह–चिकित्सक द्वारा चिन्हित व्यक्ति की स्वास्थ्य जाँच कर जाँच में पाये गये तथ्य के अनुरूपHomeQuarantineअथवा IsolationWard में भेजे जाने हेतु अनुशंसा की जायेगी। IsolationWard में Shift करने संबंधी अनुशंसा प्राप्त होते ही उपरोक्त PickupTeam द्वारा तत्क्षणसंबंधित व्यक्ति को चिन्हित IsolationWard में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जायेगी। विदित हो कि कोरोना पॉजिटीव पाये गये व्यक्ति के परिजन तथा वह Attendent (सहयोगी) जिसके साथ उसने अन्य राज्य अथवा देश की यात्रा की हो,को PickupTeam द्वाराIsolationWard में ही स्थानांतरित किया जायेगा। इनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जो इनके सम्पर्क मे आये हों, को प्रखण्ड–स्तर पर चिन्हित Quarantine Centreमें Quarantineके अधीन किया जायेगा तथा संबंधित Sector प्रभारी/tagged medical team/ASHA द्वारा 28 दिनों तक इनके स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखी जायेगी। इन 28 दिनों में किसी भी प्रकार केCOVID-19 संबंधी लक्षणों केप्रदर्शित होने की स्थिति में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

6. **MappingTeam :-**

सदस्य :–

1. अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बारसोई
2. संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी
3. संबंधित अंचलाधिकारी

टीम का दायित्व :–

(i) Containment ZoneएवंBuffer Zoneमें अवस्थित सभी निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को तथा स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित कर प्रतिवेदन Chief Monitoring Team को 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) जिला स्तरीय Isolation कोषांग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए COVID-19 संबंधी संदिग्ध लक्षण वाले व्यक्ति का स्थानांतरण कटिहार जिला अन्तर्गत चिन्हित एवं तैयार किये गये IsolationWardमें करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक स्थानांतरण संबंधी सूचना संबंधित SDO एवं अध्यक्ष, Chief Monitoring Teamको तत्क्षण उपलब्ध कराई जाएगी।

7. **Medical Resource Team :-**

सदस्य :–

1. अपर अनुमंडलपदाधिकारी, कटिहार
2. सिविल सर्जन, कटिहार
3. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार

टीम का दायित्व :–

(i) इस टीम का दायित्वहोगा कि चिन्हित मरीजों को समुचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जाय। विभिन्न आवश्यक सुविधाएँ यथा–ICU, Dialysis, Critical careइत्यादि मुहैय्या कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी विभिन्न निजी अस्पतालों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक सहयोग प्राप्त करेंगे।

8. **Chief Monitoring Team :** –

1. उप विकास आयुक्त, कटिहार – अध्यक्ष

सदस्य :–

2. अपर पुलिस अधीक्षक, कटिहार
3. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार
4. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार
5. डा० अनन्या विश्वास, एस०एम०ओ०, डब्लू०एच०ओ०, कटिहार

टीम का दायित्व :–

इस टीम के द्वारा उक्त गठित सभी टीमों में आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यकतानुसार समय–समय पर दिशा–निर्देश देते हुएउक्त सभी निदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। दिये गए निदेशों का सभी टीमों द्वारा ससमय अनुपालन के संदर्भ में सतत पर्यवेक्षण करेंगे।

उक्त सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

1/5

जिला पदाधिकारी
कटिहार।

ज्ञापांक–06(गो0)/सी0, कटिहार, दिनांक–01-05-20

प्रतिलिपि– सभी संबंधित टीम के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/थाना अध्यक्ष/प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक

(जीविका) एवं प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक, कुर्सेला एवं कदवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) एवं जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका), कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— असैनिक शल्य चिकित्सक —सह— मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, कटिहार/जिला मलेरिया पदाधिकारी, कटिहार/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, कटिहार/एस0एम0ओ0 डब्लू0एच0ओ0, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार एवं बारसोई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— जिला स्तरीय प्रखण्डों के नोडल पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी, कुर्सेला एवं कदवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी एवंवरीय पदाधिकारीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— उप विकास आयुक्त, कटिहार एवं अपर समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— आयुक्त, पूर्णियॉ प्रमण्डल, पूर्णियॉ को सादर सूचनार्थ समर्पित।

1/5

जिला पदाधिकारी
कटिहार।